

# जीवित रहने का प्रमाण पत्र

फोटो

1. मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ..... इकरार करता/करती/करती हूँ कि मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय /विधवा/ विकलांग/राज्य ।  
वृद्धावस्था/ विधवा/परित्यक्ता/विकलांग पेंशन का /की धारक हूँ। मेरा पी.पी.ओ नम्बर ..... है।
2. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त पेंशन के अतिरिक्त किसी प्रकार की पेंशन प्राप्त नहीं की है।
3. मैं घोषणा करती हूँ कि मैं विधवा और मेरा पुनविवाह नहीं हुआ है।
4. मैं विकलांग पेंशन घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने किसी प्रकार का रोजगार प्राप्त नहीं किया है।

पेंशनर के अभिलेख पूर्ति हेतु निम्नलिखित सूचनाकी पूर्ति/संलग्न करावें।

1. आयु सत्यापन हेतु राशन कार्ड/चुनाव परिचय पत्र की फोटो कॉपी
2. मोबाइल नं. ....
3. व्यक्ति जिसका मोबाइल नं. दिया है उसका नाम
4. वार्ड नं. ....
5. बीपीएल सर्वे वर्ष.....
6. वार्ड नं.....
7. बीपीएल फेमेली आई.डी .....
8. बीपीएल मेम्बर आई.डी.....
9. डाकघर/बैंक खाता संख्या .....
10. डाकघर/बैंक शाखा का नाम व पता .....

नोट: क्र.स 1 से 10 तक की सूचना पेंशनर के मास्टर डाटा पूर्ति हेतु ली जा रही है इसका अन्य कोई प्रायोजन नहीं है।

दिनांक:

हस्ताक्षर

पेंशनर का नाम :

पता :

हम अपने ज्ञान और विश्वास से प्रमाणित करते हैं कि उपर किया गया इकरार सही है आज दिनांक को उरोक्त जीवित है तथा मेरे समक्ष इन्होंने हस्ताक्षर किये हैं।

दिनांक :

सरपंच हस्ताक्षर

उपरोक्त प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारी/पटवारी/सरपंच/वार्ड

मेम्बर/ ग्राम पंचायत सदस्य के द्वारा प्रमाणित होने चाहिये।